



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-16/09/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त मोनू पटेल को चोरी के दो अलग-अलग प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व कुल- 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0081/2023 धारा- 379/411 भादवि व मु0अ0सं0- 0081/2023 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू पटेल पुत्र राम प्रताप पटेल निवासी- नई पोखरी, थाना-सिगरा वाराणसी को थाना-चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 16/09/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त दोनो मुकदमों में धारा- 379, भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 411, भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी